







(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अधीन)

Centre for Entrepreneurship Development Madhya Pradesh (CEDMAP)

(Under Department of MSME, Govt. of Madhya Pradesh)

AN ISO 9001-2015 ORGANISATION

क्रमांक/उ. वि. के. म. प्र./भोपाल/ 2023-24/504

दिनांक: 31/01/2024

प्रति.

समस्त विभाग मध्य प्रदेश शासन

विषय:-आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य आईटी कर्मियों को "साइबर सुरक्षा प्रबंधन" पर ई-लर्निंग प्रशिक्षण कोर्स आयोजन करने विषयक।

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार व राज्य सरकार के दिशा - निर्देश MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY, Government of Indian द्वारा September 2022 में जारी" Cyber Security Guidelines for Government Employees",गृह मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा दिनांक 2022/09/08 और 2022/03/30 को जारी दिशा निर्देश (D.O. No. 22003/15/2019-I4C),एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी, 2013 के अनुसार कार्यालयों में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों सहित संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा जागरूकता, कार्यालय में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करने एवं बनाये रखने, आईटी संसाधनों के सुरक्षित उपयोग, सूचना की सुरक्षा तथा कार्यस्थल पर साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अतः सभी अलग अलग विभागों में सेवाएं दे रहे कंप्युटर /डाटा एंट्री ऑपरेटर, अन्य आई टी कर्मी सहित समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है।

CEDMAP द्वारा अलग अलग विभागों में उपलब्ध कराए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रस्तावित "साइबर सुरक्षा प्रबंधन" कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की संचालन, क्रियान्वयन योजना एवं अन्य संबंधित जानकारी संलग्न है। आवेदक cedmapindia.mpgov.in वेबसाईट पर जाकर पंजीकरण कर सकते है तथा तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नंबर 9343649161, 9343649168, 9343649163, 8770303862पर संपर्क कर सकते है।

आपके विभाग /कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कम्प्यूटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एवं अन्य आई टी कर्मी जो कंप्युटर संसाधनों पर कार्य करते है; उक्त प्रशिक्षण 8 दिवसीय है जो प्रत्येक दिवस 2 घंटे की अवधि का होगा। अतः उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करने, प्रशिक्षण के दिवसों में दो घंटे की अवधि को इनकी कर्तव्य अवधि मान्य किया जाए एवं इस हेतु इनके मानदेय से कोई कटोत्रा नहीं किया जाए संबंधित दिशा निर्देश जारी करने की क्रपा करें।

> आर के शुक्ला पी एम य हेड सेडमैप भोपाल

प्रतिलिपि: समस्त आउटसोर्स कर्मचारी

2.कार्यकारी संचालक, सेडमैप भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।



साइबर सुरक्षा प्रबंधन

ई-लर्निंग प्रशिक्षण कोर्स

कार्यकम कोड-CEDCLP103

CEDMAP आदेश क्रमांक /उ. वि .के .म .प्र ./ भोपाल २०२३-२४ /५०४ दिनांक ३१/०१/२०२४

> कम्प्यूटर / डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी कर्मियों सहित समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए

> > कार्यक्रम अवधि : 16 घंटे एवं ८ दिन

प्रतिदिन : 02 घंटे (वलास : 45 मिनट, प्रश्न उत्तर: 15 मिनट)

मोड : ऑनलाईन लाइव क्लास

संबंधित नियम एवं पावधान

भारत सरकार व राज्य सरकार के दिशा-निर्देश

MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY,

Government of India ਫ਼ੀਦੀ September 2022 ਗੋਂ ਗਈ Cyber Security Guidelines for

जार Cyber Security Guidelines for Government Employee, गृह मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा दिनांक 08/09/2022 और 30/03/2022 को जारी दिशा निर्देश (D-O- No. 22003/15/2019-14C), एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी, 2013 के अनुसार कार्यालयों में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों सहित संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को साइबर सरक्षा पर जागरूकता तथा प्रशिक्षण

दिया जाना आवश्यक है।

फायदे

- ई–रिकॉर्ड व डाटा चोरी की घटनाओं को रोकना।
- कंप्यूटर व इन्टरनेट का सुरक्षित उपयोग।
- कंप्यूटर संसाधनों के दुरूपयोग को रोकना।
- डिजिटल सिग्नेचर एवं कार्यालयीन ईमेल आई डी के उपयोग की गंभीरता को समझना व नियमों को जानना।
- तकनीकि एवं आई टी कार्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारियों, नीति, आई टी नियम एवं कानून की जानकारी होगी
- साइबर क्राइम एवं ऑनलाइन- वित्तीय साइबर फ्रॉड से सुरक्षा
- सुरक्षित डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं एप्लीकेशन का उपयोग

विषय वस्तु

- साइबर स्पेस, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध एवं प्रकार तथा साइबर कानून
- कार्यस्थल पर साइबर अपराध
- ऑनलाइन वित्तीय धोखाधडी, सुरक्षा उपाय और इसकी रोकयाम
- वित्तीय साइबर फ्रॉड की शिकायत एवं क्षतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया
- ई-गवर्नेस एवं शासकीय कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट
- शासकीय कंप्युटर एवं कंप्युटर संसाधनों से संबंधित कानून
- साइबर सुरक्षाः कार्यालय में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करना
- इलेक्ट्रॉनिक आहरण एवं संवितरण प्रक्रियाः संबंधित जोखिम एवं सुरक्षा उपाय
- दैनिक जीवन में साइबर स्वच्छता की अवधारणा और उपयोग
- डेस्कटॉप कांयुटर, मोबाइल फोन एवं ऑनलाइन सुरक्षा
- सरक्षित बैंकिंग एवं डिजिटल एप्लीकेशन



विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षण पेनल



इंजी. यशदीप चतुर्वेदी साइबर लॉ एक्सपरें (एम.टेक., बी.ई., पी.जी.डी. इन साइबर लॉ)

और अन्य अधिकृत एवं सबंद प्रशिक्षक/विशेषज्ञ

प्रशिक्षण के उद्देश्य

- निकाय/ कार्यालय में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करना।
- कार्यस्थल पर साइबर क्राइम की घटनाओं की रोकथाम।
- शासकीय कंप्यूटर संसाधनों एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता
- संबंधित जिम्मेदारियों, सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधान समझना ।

कार्यक्रम आयोजन की जानकारी

- प्रशिक्षाणार्शी विजरट्रेशनः प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक सटस्य का रिजरट्रेशन CEDMAP के निधारित एवं अधिकृत वेबपोर्टल https://cedmapindia.mp.gov.in/ पर किया गाएगा।
- वित्तीय निरितार्थः प्रशिक्षण शुल्क कुल रु. 2985/- (समस्त कर सहित) प्रति सदस्य होगी। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान कर्मचारी द्वारा सीधे CEDMAP के निर्धारित बैंक खाते में किया गएमा। पंजीयन शुल्क अप्रतिदेय होगी। CEDMAP के खाते में भुगतान प्राप्त होने पर ही पंजीकरण सफल माना जाएगा।
- परीक्षा पर्य मूल्यांकनः प्रशिक्षण उपरांत एक ऑनलाइन परीक्षा आरोजित की जाएगी। जिसके लिए एक अभ्यास पुरितका हिंदी में तैयार की गयी है।
 परीक्षा अभ्यास पुरितका पर आधारित रहेगी। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण का पुनः अध्ययन/अभ्यास व विभाग के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना होगी। सभी सदस्यों को डिजीटली हस्ताक्षरित ई प्रमाण पत्र दिया जायेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण सदस्यों पूर्णाता प्रमाण पत्र और अन्य को भागीदारी प्रमाणण पत्र दिया जायेगा।
- कोर्स की विषय वस्तु पर आधारित अध्ययन सामग्री हिंदी उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रशिक्षण के बाद नियमित मानरूकता : 06 माह तक मि-शुक्क सुरविध्य ऑनलाइन भुगतान एवं सेवाएँ तथा साइबर मागरूकता विषय एवं प्रशिक्षण की ठिष्ठय थन्तु वर वीडियो लेक्चर ऑनलाइन अकाउंट एवं नीबाइल पर में उपलब्ध कराये मार्छेंगे।

Website: https://www.cedmapindia.gov.in

Bank Account Details : CEDMAP,

Central Bank of India, A/c. 1793101203, IFSC CODE - CBIN0283312

Scan for Registration



Implementing Agency



WHEN TRUTH & JUSTICE CALLS

प्रशिक्षण आयोजन कार्य योजना एवं संबंधित दिशा निर्देश:-

- "CEDCLP103: CYBER SECURITY MANAGEMENT " एक ई-लिनैंग प्रशिक्षण कोर्स है। प्रशिक्षण में आउटसोर्स या अनुबंध आधार पर कार्य करने वाले कम्प्युटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर समस्त कर्मचारी भाग ले सकेंगे।
- 2. कोर्स की समयावधि 16 घंटे की होगी। प्रतिदिन दो घंटे प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा ।
- 3. कोर्स में कुल 16 लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। लेक्चर की अवधि 60 मिनट होगी।
- 4. प्रशिक्षण में 45:00 मिनट क्लास तथा 15 मिनट प्रश्न-उत्तर सत्र रहेगा।
- 5. पंजीयन के पश्चात प्रशिक्षण की समय सारणी तैयार कर भाग लेने वाले कर्मचारियों को दी जायेगी।
- 6. प्रशिक्षाणार्थी रिजस्ट्रेशन: प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य का रिजस्ट्रेशन CEDMAP के निर्धारित एवं अधिकृत वेबपोर्टल https://cedmapindia.mp.gov.in/ पर किया जाएगा, प्रशिक्षाणार्थी को स्वयं ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। जिसके आधार पर ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट होगा जिसमे निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी
 - प्रोफाइल एडिट/ अपडेट
 - प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए वेब लिंक
 - प्रैक्टिकल/ जागरूकता वीडियो
 - ऑनलाइन परीक्षा
 - स्टडी मटेरियल (अध्ययन सामग्री)
 - ई-सर्टिफिकेट
 - प्रशिक्षण संबंधित दिशा निर्देश, कोर्स कंटेन्ट एवं ऐक्टिविटी संदेश
 - पंजीयन एवं प्रशिक्षण संबंधित क्रियाओं की जानकारी प्रशिक्षाणार्थी को पंजीकृत मोबाईल पर भी भेजी जाएगी।
- 7. प्रशिक्षण ऑनलाइन लर्निंग प्लैटफार्म के माध्यम से दिया जायेगा। जिसमे प्रतिभागी LIVE प्रश्न पूछं सकते है या प्रशिक्षक से वार्तालाप कर सकते है। जिसके उत्तर प्रशिक्षक द्वारा क्लास के अंत मे दिये जायेंगे।
- 8. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर CEDMAP के पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- 9. परीक्षा एवं मूल्यांकन: प्रशिक्षण उपरांत एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसके लिए एक अभ्यास पुस्तिका हिंदी में तैयार की गयी है। परीक्षा अभ्यास पुस्तिका पर आधारित रहेगी। इस



परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण का पुनः अध्ययन/ अभ्यास व् विभाग के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना होगी।

परीक्षा से संबंधित नियम और निर्देश इस प्रकार हैं:-

I - परीक्षा विवरण

• परीक्षा का प्रकार : बहुविकल्पीय प्रश्न

• अवधि : 60 मिनट

प्रश्न : 100

• उत्तीर्ण अंक : 40%

• मोड : ऑनलाइन

II- अन्य मानदंड

• परीक्षा CEDMAP द्वारा आयोजित की जायेगी ।

• कोई नकारात्मक अंकन नहीं।

• उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल तीन प्रयास मिलेंगे।

• CEDMAP द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

• उम्मीदवारों को हिंदी में अभ्यास पुरितका भी उपलब्ध कराई जायेगी ।

अंतिम परीक्षा प्रश्न अभ्यास पुस्तक पर आधारित हैं।

- परीक्षा का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा पर जागरूक करना और पाठ्यक्रम सामग्री का पुनरीक्षण और कार्यक्रम का मूल्यांकन करना हैं।
- परीक्षा में अईता प्राप्त करने वाले सदस्यों को 'पूर्णता का प्रमाण पत्र' और अन्य को 'भागीदारी का प्रमाण पत्र' दिया जाएगा।
- 10. कोर्स की विषय वस्तु पर आधारित अध्ययन सामग्री हिंदी उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षाणार्थियों के पंजीयन एवं भुगतान का सत्यापन हो जाने पर बैच गठित किया जाएगा तथा सभी पंजीक्रत सदस्यों को अध्ययन सामग्री भारतीय डाक/ स्पीड पोस्ट से भेजी की जाएगी।
- 11.वित्तीय निहितार्थ: प्रशिक्षण शुल्क कुल रु. 2985/- (समस्त कर सिहेत) प्रति सदस्य होगी। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान कर्मचारी द्वारा सीधे CEDMAP के निर्धारित बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन शुल्क अप्रतिदेय होगी। CEDMAP के खाते में भुगतान प्राप्त होने पर ही पंजीकरण सफल माना जाएगा।

12.प्रशिक्षण के बाद नियमित जागरूकता

- प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों का ऑनलाइन रिजस्ट्रेशन कर अकाउंट क्रिएट किया
 जाएगा। जो 06 माह तक निःशुल्क एक्सेस किया जा सकता है।
- सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान एवं सेवाएँ तथा साइबर जागरूकता विषय एवं प्रशिक्षण की विषय वस्तु
 पर वीडियो लेक्चर ऑनलाइन अकाउंट एवं मोबाइल पर में उपलब्ध कराये जाएँगे।
- कंप्यूटर, इंटरनेंट, मोबाइल, डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं डाटा सुरक्षा जैसे विषयों प्रैक्टिकल वीडियो
 इत्यादि अकाउंट पर प्राप्त होंगे।
- साइबर सुरक्षा, साइबर खतरों एवं ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की रोकथाम संबंधी विषयों पर केस तथा
 अपडेट निःशुल्क वेबपोर्टल पर ऑनलाइन अकाउंट एवं मोबाइल पर में उपलब्ध कराये जाएँगे।

लेक्चर	"CEDCLP103-साइबर सुरक्षा प्रबंधन"	अवधि/
संख्या/	ई-लर्निंग प्रशिक्षण कोर्स	कुल घंटे
भवधि- 60 मेनट	विषय-वस्तु	
	साइबर स्पेस, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध एवं साइबर कानून	
	परिचय : • साइबर स्पेस एवं शिष्टाचार	
	 साइबर सुरक्षा अवधारणा, परिभाषा (आईटी अधिनियम के अनुसार) और सिद्धांतों को समझें साइबर सुरक्षा का महत्व एवं आवश्यकता 	
	साइबर कान्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी- सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 परिचय एवं महत्त्वपूर्ण प्रावधान	
	Digital Personal Data Protection Act, 2023 परिचय एवं महत्त्वपूर्ण प्रावधान	
	सोशल नेटवर्क साइट का परिचय	
	• सोशल नेटवर्क और इसकी सामग्री, ब्लॉग	
04		04 घंटा
	• अनुचित सामग्री को चिह्नित करना और उसकी रिपोर्ट करना	
	संबंधित नियम एवं दिशा निर्देश	
	• सोशल मीडिया नेटवर्क संबंधित साइबर अपराध एवं सुरक्षित उपयोग	
	साइबर अपराध और इसकी रोकथाम:	
	• साइबर अपराध का परिचय एवं श्रेणी	
	• सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित अपराध	
	•साइबर अपराध के प्रकार: साइबर मानहानि, डिजिटल जालसाजी, साइबर	
	स्टॉकिंग / उत्पीड़न, ऑनलाइन वेबकैम स्केम, डेटिंग वेबसाईट,	
	sextortion, Honey Trap और अन्य, साइबर एवं बाल अश्लीलता	12
	• महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन साइबर अपराध और प्रतिरूपण घोटाले	
	• कार्यस्थल पर साइबर अपराध	
	शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया	19
	• साइबर अपराध सम्बन्धी शिकायत, मध्य प्रदेश साइबर सेल, ऑनलाइन	- X.
	. साइबर क्राइम	3.00
	• सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं को शिकायत	(4)
447	• साइबर अपराध की शिकायत के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?	
	ऑनलाइन वित्तीय धोखाधडी और इसकी रोकथाम	
	 विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ा साइबर जोखिम और उससे सुरक्षा। 	
	 कियोस्क बैंकिंग, एटीएम एवं आधार आधारित फ्रॉड 	



02	 पहचान चोरी एवं दस्तावेज का दुरुपयोग कर अवैध लोन, ओटीपी एवं अन्य SMS आधारित फ्रॉड, अज्ञात / असत्यापित मोबाइल ऐप फ्रॉड, मोबाईल रिचार्ज शॉप फ्रॉड, 	02 घंटा
	 मनी म्यूल एकाउंट्स: नये / फ़र्ज़ी खाते खोलने एवं बैंक खातों का ऑनलाइन फ्रॉड में दुरुपयोग 	
	 फिशिंग लिंक, विशिंग कॉल, एटीएम कार्ड स्किमिंग, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर 	
	धोखाधड़ी, लॉटरी पोखाधड़ी, निवेश घोटाले, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, नकली ऋण बाईट / ऐप धोखाधड़ी, क्यूआर कोड स्केन फ्रॉड, सर्च इंजन फ्रॉड, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिरूपण, ई-बैंकिंग सेवा (आरटीजीएस/ आईएमपीएस / एनईएफटी) आधारित धोखाधड़ी, रिमोट एक्सेस ऐप फ्रॉड, ई सिम फ्रॉड, सिम स्वैप / सिम क्लोनिंग, एसएमएस / ईमेल / इंस्टेंट मैसेजिंग / कॉल स्कैम,	
	ओटीपी घोखाधड़ी, एटीएम घोटाले, ऑनलाइन शॉपिंग के खतरे, लॉटरी ईमेल/एसएमएस, ऋण घोखाधड़ी	
	वित्तीय साइवर फ्रॉड की शिकायत एवं क्षतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया	
	 मध्य प्रदेश साइबर सेल, ऑनलाइन साइबर क्राइम एवं बैंक फ्रॉड की शिकायत, यू पी आई संबंधी शिकायत 	
	आरबीआई बैंक लोकपाल को शिकायत, बैंक में एवं ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं को शिकायत, हेल्पलाइन नंबर	
	• न्याय निर्णायक अधिकारी	
	ई-गवर्नेस एवं शासकीय कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित क़ानूनी फ्रेमवर्क	
	इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट:	
	• इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनि क रिकॉर्ड की प्रामाणिकता	
	 डिजिटल सिग्नेचर क्या है, कौन जारी करता है तथा कितने प्रकार के हीते है 	
	कान्नी वैद्यता एवं प्रावधान	
	डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण	
	डिजिटल हस्ताक्षर: तकनीकी एवं कानूनी मुद्दे	
	शासकीय कंप्यूटर एवं कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित कानून	
	 आईटी अधिनियम 2000 के तहत संरक्षित प्रणाली एवं महत्व 	
	• कंप्यूटर एवं कंप्यूटर संसाध नों से संबंधित कानू न	
	 मध्य प्रदेश ईमेल नीति 2014 का अवलोकन 	
	साइवर सुरक्षाः कार्यालय में साइवर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करना-।	2
03	नियम एवं दिशा-निर्देश	03 घंटा
	• सरकारी अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा गाइडलाइन	*:
	 शासकीय कंप्यूटर एवं कंप्यूटर संसाधनों के प्रति उपयोगकर्ता कर्मचारी की जिम्मेदारी 	
	 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सूचना की गोपनीयता और सुरक्षा 	
	इलेक्ट्रॉनिक आहरण एवं संवितरण प्रक्रियाः संबंधित जोखिम एवं सुरक्षा उपाय	
	 मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक देयक तैयार, उत्सादित, प्रस्तुत एवं करने की प्रक्रिया 	
	 मध्य प्रदेश अम्मालय साहता का अनुसार इतावटानिक देवक तथार, उत्सादत, प्रतात एव करून यम प्राप्ताना । 	



इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आदेश (ईपीओ) प्रक्रिया संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधान मेकर चेकर प्रक्रिया का विवरण एवं महत्व IFMS (/PFMS) परिचय, ऑपरेशन एवं भुगतान प्रक्रिया: जोखिम एवं सावधानियाँ ईपीओ में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की भूमिका एवं सुरक्षित प्रबंधन क्रिएटर, वेरिफायर एवं अप्रवर कि भूमिका, जोखिम एवं क़ानूनी जिम्मेदारी ईपीओ से संबंधित संभावित फ्रॉड एवं केस अध्ययन साइबर सुरक्षाः कार्यालय में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करना -!! (प्रैक्टिकल सेशन) दैनिक जीवन में साइबर स्वच्छता की अवधारणा और उपयोग साइबर हमले एवं खतरे: मालवेयर एवं रेंसमवेयर अटैक एवं सुरक्षा उपाय तथा अन्य इंटरनेट सुरक्षा एवं नैतिकता: इंटरनेट की आदत / अडिक्शन, ब्राउज़र सुरक्षा, ईमेल सुरक्षा, Google, सोशल मीडिया अकाउंट में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कैसे सेट अप करें। इंटरनेट कुकीज, ब्राउज़र हिस्ट्री को कैसे enable, disable, view, or delete?, अपनी वेबसाइट की गोपनीयता और सुरक्षा कैसे प्रबंधित करें, ऑटो-पासवर्ड और ऑटो-फिल डेटा को कैसे प्रबंधित करें। सुरक्षित युआरएल साइट का उपयोग कैसे करें (केवल https सुरक्षित युआरएल का उपयोग करके)। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? आईओटी परिचय एवं सुरक्षा, वाई-फाई सुरक्षा, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर नकली ऐप्स का पता लगाना (नकली ईमेल संदेश, नकली पोस्ट, नकली व्हाट्सएप संदेश, नकली ग्राहक सेवा/टोल फ्री नंबर, मकली नीकरियां) 07 घंटा जस नैकिंग, गुगल मैप सुरक्षा। डेस्कटॉप कप्यूटर सुरक्षा –डेटा सुरक्षा उपकरण और तकनीकी: स्थानीय कंप्यूटर, फ़ाइल सुरक्षा, यूजर अकाउंट सिक्योरिटी, एन्क्रिपान और डिक्रिपान तकनीक, फायरबॉल, विंडोज़ फ़ायरबॉल को कॉन्फ्रिगर करना, एंटीवायरस इंस्टालेसन और कॉन्फिगरेशन। ऑनलाइन सुरक्षा तथा 'सुरक्षित बैंकिंग एवं डिजिटल एप्लीकेशन • विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से काम करें डिजिटल लेक्देन (नेटबकिंग बैंकिंग, UPI, पेटीएम, फ़ोन पे इत्यादि) कियोस्क बैंकिंग एवं एटीएम लेन-देन, जोखिम एवं सुरक्षा उपाय . ई-कॉमर्स (ऑनलाइन शॉपिंग), ई-लेन-देन में शामिल संस्थाएँ ई होन्देन के बारे में क्या करें और क्या न करें आधार कार्ड का इस्तेमाल कर केसे अकाउंट से लेन-देन करे। आमा आधार कार्ड कैसे लॉक करें

अस्रिति वाई-फाई का उपयोग करने का जोखिम एवं वाई-फाई का स्रक्षित उपयोग कैसे करें

• फ़ीन में कितने प्रकार के पासवर्ड डाल सकते है तथा कैसे सेट करें।

फ़ोन में एप्लिकेशन की अनुमित कैसे प्रबंधित करें।

07

मोबाइल फ़ोन सरक्षा

PMU HEAD

 डाउनलोड करने से पहले कैसे जांचें कि कौन सा एप्लिकेशन फोन में कौन सी अनुमित का उपयोग करेगा? आपको मोबाइल फ़ोन में कोई भी अवांछित एप्लिकेशन क्यों डाउनलोड नहीं करना चाहिए, फोन में एप्लिकेशन की अनुमित कैसे प्रबंधित करें डाउनलोड से पहले यह कैसे जांचें कि कौन सा एप्लिकेशन फोन में किस अनुमित का उपयोग करेगा? आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है कैसे पता करें।

